

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (केशोरायपाटन) जिला (बूंदी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं०  
64/प्रा०पत्र/2019

तारीख दायर  
24.06.2019

तारीख फैसल  
09.09.2019

1. सिद्धान्त कोठारी पुत्र सुनील कोठारी जाति जैन निवासी पुराना खजाना सिविल लाईन्स कोटा जिला कोटा (राज०)
2. सुश्री श्रुति कोठारी पुत्री सुनील कोठारी जाति जैन निवासी पुराना खजाना सिविल लाईन्स कोटा जिला कोटा जय मुख्तार आम मनोज कोठारी आ० प्रेमचन्द जाति जैन निवासी प्रेम भवन, इन्द्रा विहार कोटा जिला कोटा (राज०)

...प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जय तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी (राज०)

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री नन्द सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:-

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1. प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदीरी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 1693/194 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बुंदी राजस्थान मे विस्थित है।
2. यह कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओं से संबंधित विवाद है। तथा ऐसी सीमा संबंधित विवादो का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 मे व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सीमाओ के संबंध मे किसी विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकारी जहाँ तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शो के आधार पर या ऐसे नक्शो उपलब्ध ना तो वहाँ वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। साथ ही मे भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तदनुसार सीमा निश्चित करेगा।
3. यह की प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार साहब तालेडा को सीमाज्ञान बाबत आवेदन किया गया था। परन्तु प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111,128 के तहत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पत्थरगडी) करवाना चाहते है। जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्याय हित मे अति आवश्यक है। साथ ही मे प्रार्थीगण वैकल्पिक रूप से जी.पी.एस. टेक्नोलोजी से भी भूमि का नाम कराने को तैयार है। जिसका खर्चा भी नियमानुसार अदा करने को तैयार है।
4. यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव मे समस्याओ का सामना करना पड रहा है। इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि श्रीमान के न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने के करण न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी  
तालेडा



प्रार्थना पत्र समुचित कार्ट फीस पर मय तलबाने के प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान के प्रार्थना है। कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित फरमावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1693/194 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान का सर्वेक्षण जी.पी.एस. टेक्नोलोजी अथवा पत्थरगढी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये पेरकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में प्रार्थी की ओर से नकल जमाबन्दी खाता सं० 414 ग्राम नोताडा भोपत संवत् 2072-75, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नोताडा भोपत, मुख्तार नामा आम नोटेरी शुद्धा दिनांक 27.04.2015 की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं० 414 ग्राम नोताडा भोपत संवत् 2072-75, में प्रार्थीगण सिद्धांत कोठारी आ० सुनील कोठारी, श्रुति कोठारी पुत्री सुनील कोठारी जाति जैन नि० पुराना खजाना सिविल लाईन कोटा हाल नि० राजश्रीनगर खरिया खंजार तह० गोपालगढ़ जिला जोधपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार 1000/-रु पत्थर गढी शुल्क: राजकोष में जमा कर प्रार्थीगण की उपस्थिति में कृषि भूमि खसरा सं० 1693/194 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम नोताडा भोपत का जी.पी.एस. टेक्नोलोजी से सीमाओ का निर्धारण कर पत्थर गढी की जावे, जी.पी.एस. टेक्नोलोजी का खर्चा नियमानुसार प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
तालेडा  
राजस्थान